उत्तर प्रदेश आरा मशीन स्थापना एवं विनियमन नियमावली, 1978[1]

[2][सामान्य संशोधन– उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना और विनियमन नियमावली, 1978 जिसे आगे उक्तनियमावली कहा गया है, में शब्द ''आरामिल की स्थापना और विनियम'' शीर्षक सहित जहाँ कहीं आये हों, के स्थान पर शबद '' काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन)'' रख दिये जायेंगे।]

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तारण और प्रारम्भ–(1) ये नियम उत्तर प्रदेश [काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन] नियमावली, 1978 कहा जायेगा।

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

3. यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसका राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा निर्देश करें।

[3][2. परिभाषायें–(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) ''औद्योगिक संपदा'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये अधिसूचित क्षेत्रों से है।

(ख) ''लाइसेंस'' का तत्पर्य इस नियमावली के अनुसरण में राज्य द्वारा अधिसूचित नियमों के अधीन दिये गये लाइसेंस से है।

(ग) ''प्रधान मुख्य वन संरक्षक'' का तात्पर्य राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक की श्रेणी के वन अधिकारी से है। और इसमें राज्य के वन विभागाध्यक्ष के रूप में अभिहित अधिकारी भी सम्मिलित है।

(घ) ''गोल लट्ठा'' का तात्पर्य प्राकृतिक स्वरूप में काष्ठ के ऐसे टुकड़े से है। जिसका छाल के नीचे का मध्य घेरा, तीस सेन्टीमीटर का या उससे अधिक का हो और इसमें छाल हटाये जाने के पश्चात ऐसा गोल लट्ठा भी सम्मिलित है या जिसकी सतह की इसके परिवहन और/या भण्डारण में सुविधा के प्रयोजनार्थ इसके क्रास सेक्सन को वर्गाकार या लगभग वर्गाकार बनाने के लिए हाथ से या किसी बैड सॉ या अन्य किसी मशीन या उपस्कर द्वारा छिलाई की गई है।

(ड़) ''आरामिल'' का तात्पर्य गोल लट्ठों को चीरे हुए काष्ठ में परिवर्तित करने के लिए किसी नियत संरचना या परिसर में स्थित संयंत्रों और मशीनरी से है।

(च) ''चीरी हुई इमारती लकड़ी'' का तात्पर्य किसी गोल लट्ठे की चिराई से प्राप्त शहतीर, कड़ी, तख्ते, पटरे और ऐसे अन्य उत्पाद से है।

---

1. अधिसूचना संख्या–432/14–3–32–73, दिनांक 1 अगस्त, 1979 उ0प्र0 असाधारण गजट में दिनांक 1 अगस्त, 1978 को प्रकाशित हुआ।
2. यह संशोधन अधिसूचना संख्या–621/14–2–2018–165जी–2017, दिनांक 14 मार्च, 2018 द्वारा किया गया, जो उ0प्र0 असाधारण गजट, भाग–4, खण्ड (क), दिनांक 14 मार्च, 2018 को प्रकाशित हुआ और (14 मार्च, 2018 से प्रभावी हुआ)।
3. अधिसूचना संख्या–621/14–2–2018–165जी–2017, दिनांक 14 मार्च, 2018 द्वारा उपरोक्त नियमावली के नियम 2,3,4,5,5क, 6,7,8,9,10,11,11क, तथा 12 प्रतिस्थापित हुए, जो उ0प्र0 असाधारण गजट, भाग–4, खण्ड (क), दिनांक 14 मार्च, 2018 को प्रकाशित हुआ और (14 मार्च, 2018 से प्रभावी हुआ)।

(छ) '' राज्य स्तरीय समिति'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के पैरा 12 (1) के अधीन गठित समिति से है।

(ज) '' काष्ठ आधारित उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे किसी उद्योग से है जो काष्ठ को कच्चे माल के रूप में प्रासंस्कृत करता हे। (आरामिल/विनियर/प्लाईवुड या चंदन, कत्था की लकड़ी इत्यादि जैसा अन्य प्रकार)।

(2) इस नियमावली के अधीन प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और भारतीय वन अधिनियम, 1927 अथवा राज्य में यथा प्रयोज्य सुसंगत स्थानीय वन अधिनियम, और इसके अधीन बनायी गई नियमावली से परिभाषित शब्दों और पदो के वही अर्थ होंगे जो ऐसे अधिनियम अथवा नियमावली में उनके लिए समनुदेशित है।

(3) किसी शब्द अथवा पद की व्याख्या से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय–2

आरा मशीनों की स्थापना और विनियमन

3. आरामिल की स्थापना का निर्बन्धन–(1) निकटतम अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से दूरी के सम्बन्ध में, काष्ठ आधारित उद्योगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय/सम्बन्धित राज्य के माननीय उच्च न्यायालय/केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के राज्य विशिष्ट आदेश/अनुमोदन के अनुसार या सड़क के किनारे/रेलवे के किनारे/नहर के किनारे के वृक्षारोपण को अपवर्जित करते हुए निकटतम अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से 10 किलोमीटर की हवाई दूरी से अधिक, जो भी कम हो, प्रचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(2) काष्ठ आधारित उद्योग, निकटतम अधिसूचित वन अथवा संरक्षित क्षेत्र की सीमा से हवाई दूरी पर ध्यान दिये बिना किसी औद्योगिक सम्पदा अथवा किसी नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित किये जा सकते हैं।

4. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र– कोई व्यक्ति जो कोई काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करना, परिनिर्मित करना या चलाना चाहे, उस निमित्त लाइसेंस प्राप्त करने के लिए राज्य स्तरीय समिति के समक्ष राज्य स्तरीय समिति द्वारा विहित ई–प्रपत्र में आवेदन करेगा। आवेदन केवल उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समिति की ओर से विकसित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही किया जायेगा एवं निस्तारित किया जायेगा। किसी भी आवेदन का निस्तारण मैनुअली नहीं किया जायेगा। यह ऑनलाइन प्रणाली सार्वजनिक अवलोकन और आवेदन ट्रैकिंग प्रास्थिति तथा उसके निस्तारण को सुगम बनाने के लिये विकसित की जायेगी।

5. लाइसेंस का दिया जाना– नियम 4 के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त किये जाने पर राज्य स्तरीय समिति उसकी अभिस्वीकृति करेगी और तत्पश्चात् ऐसी जांच करेगी जैसा कि वह उचित समझे और स्वयं का समाधान करने के पश्चात् लाइसेंस स्वीकृत करेगी। राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृति के पश्चात् प्रभागीय वनाधिकारी राज्य स्तरीय समिति द्वारा विहित प्रपत्र में केवल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से लाइसेंस जारी करेगा।

यदि राज्य स्तरीय समिति का समाधान न हो तो, वह आवेदन–पत्र को अस्वीकार कर सकती है। आवेदक के पास आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने और केवल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से लाइसेंस की स्वीकृति या अस्वीकृति को प्राप्त करने की सुविधा होना आवश्यक है।

5–क. काष्ठ आधारित उद्योगों की पुनः अवस्थापना– कोई भी व्यक्ति, जो किसी काष्ठ आधारित उद्योग की पुनः अवस्थापना चाहाता है, पुनः अवस्थापना के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी या सम्बन्धित समकक्ष अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर यथास्थिति प्रभागीय वनाधिकारी या समकक्ष अधिकारी अपनी टिप्पणी वन संरक्षक/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक को देगा, जो अपनी टिप्पणियों सहित आवेदन पत्र राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगा, जो ऐसी जांच कर सकती है या यदि वह उचित समझे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर काष्ठ आधारित उद्योग के पुनः अवस्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकती है।

6. लाइसेंस की विधिमान्यता की अवधि– किन्हीं काष्ठ आधारित उद्योगों को मंजूर किये गये लाइसेंस उनके निर्गमन अथवा नवीकरण के दिनांक से अनाधिक पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी जैसा कि लाइसेंसी में विनिर्दिष्ट किया जाय।

7. काष्ठ आधारित उद्योग को लाइसेंस प्रदान किया जाना या नवीकरण किया जाना– राज्य स्तरीय समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना किसी काष्ठ आधारित उद्योग को कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया जायेगा या नवीकरण नहीं किया जायेगा। तथापि, राज्य स्तरीय समिति काष्ठ आधारित उद्योग के लाइसेंस के नवीकरण की शक्ति सम्बन्धित वन प्रभागों के प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकती है। लाइसेंस का नवीकरण केवल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा।

8. लाइसेंस का प्रतिसंहरण– पूर्ववर्ती नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी, जहां उसे विश्वास करने का कारण हो कि कोई लाइसेंसधारी इस नियमावली के उपबन्धों का या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके काष्ठ आधारित उद्योग चला रहा है या लाइसेंसधारी वन संरक्षण के हितों के प्रतिकूल क्रियाकलापों में अन्तर्ग्रस्त है, किसी भी समय एक माह का नोटिस देने के पश्चात् स्वीकृत लाइसेंस को प्रतिसंहत कर सकता है।

9. लाइसेंस प्रतिसंहरण करने के विरूद्ध अपील– नियम 8 के अधीन प्रभागीय वन अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस पर आदेश तामील किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर सम्बन्धित वन संरक्षक/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक को अपील कर सकता है। वन संरक्षक/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, तदुपरान्त प्रभागीय वन अधिकारी और/या अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दने के पश्चात् अपील का विनिश्चय करेगा। ऐसी अपील पर वन संरक्षक मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक का विनिश्चय अंतिम होगा।

10. लाइसेंस देने और नवीकरण के लिए फीस– समय–समय पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा किये गये विनिश्चयों के अनुसार आवेदक/लाइसेंस धारक हेतु वार्षिक फीस का भुगतान उनके द्वारा किया जायेगा। फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन प्रणाली द्वारा जमा की जायेगी।

11. राज्य स्तरीय समति का गठन– (1) राज्य स्तरीय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

(क)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के प्रधान	अध्यक्ष
(ख)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
(ग)	कार्य योजनाओं/कार्यस्कीमों की तेयारी को व्यवहृत करने वाले वन संरक्षक की श्रेणी से अन्यून राज्य वन विभाग का कोई प्रतिनिधि हो।	सदस्य
(घ)	उद्योग विभाग का निदेशक/अपर निदेशक	सदस्य
(ड़)	वन विकास निगम का प्रतिनिधि	सदस्य
(च)	वन मुख्यालय में कार्यरत वन संरक्षक की श्रेणी से सचिव अन्यून एक अधिकारी।	सदस्य सचिव

(2) राज्य स्तरीय समिति वन विभाग के क्षेत्रीय स्कंध से वन संरक्षक की श्रेणी से अन्यून किसी अधिकारी को तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को सहयोजित कर सकती है।

(3) राज्य स्तरीय समिति, तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(4) राज्य स्तरीय समिति की बैठक की गणपूर्ति कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों से होगी।

(5) राज्य स्तरीय समिति अपनी प्रत्येक बैठक के लिए विशेष आमंत्री के रूप में आरामिल संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट उद्योग के एक प्रतिनिधि को आमंत्रित करेगी।

12. राज्य स्तरीय समिति की शक्तियां और कृत्य– (क) राज्य स्तरीय समिति–जैसे और जब यह विनिश्चय करें, मांग और पूर्ति के समुचित अध्ययन के द्वारा राज्य में काष्ठ की उपलबधता का निर्धारण करेगी। राज्य स्तरीय समिति

ऐसे तरीके से जो क्षेत्र के वनों को प्रतिकूलतः प्रभावित न करें, काष्ठ के अविरत उपयोग के लिए समुचित तौरतरीका का उपाय करेगी।

(ख) यदि राज्य स्तरीय समिति का यह समाधान हो जाता है कि उक्त नए काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए विधिक रूप से काष्ठ उपलबध है (जैसे वन, वनों इत्यादि के बाहर वृक्ष) तो वह ऐसे काष्ठ आधारित उद्योगों के नामों का अनुमोदन करेगी, जिन पर नया लाइसेंस दिये जाने या विद्यमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता को बढ़ाये जाने के लिए विचार किया जा सकता है।

(ग) सुनिश्चित करेगी कि संबंधित राज्य वन विभाग के पास रखी धनराशि (काष्ठ आधारित उद्योगों से वसूल की गई) का उपयोग केवल वनीकरण के प्रयोजनार्थ किया जाए।

(घ) राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किसी अन्य मामले की जॉच करेगी और समुचित संस्तुतियों करेगी।

13. राज्य स्तरीय समिति के विनिश्चय के विरूद्ध अपील–(1) राज्य स्तरीय समिति द्वारा किये गये किसी विनिश्चय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति 60 दिनों के भीतर समुचित राहत की मांग करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्र सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष अपील कर सकता है।

(2) क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख, अपील दाखिल किये जाने के 60 दिनों के भीतर समुचित आदेश पारित करेगा।

(3) यदि किसी कारण से अपील में इस प्रकार पारित आदेशों द्वारा कोई व्यक्ति क्षुब्ध हो तो वह उच्च न्यायालय में समुचित याचिका/आवेदन/अपील कर सकता है।

14. काष्ठ आधारित उद्योगों द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना– प्रत्येक काष्ठ आधारित उद्योग राजस्तरीय समिति द्वारा यथाविहित अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा तथा नियमित रूप से अद्यतन करेगा।

15. व्यावृत्ति– उद्योग/प्रसंस्करण संयंत्र जो घरेलू मूल के गोल लट्ठों का प्रयोग नहीं करते हैं। या 30 सेंटीमीटर व्यास से अधिक के बैंड आरा या री–सॉ या चक्रीय आरा के बिना प्रचालन करते हैं, के लिये लाइसेंस अपेक्षित नहीं होगा–

(क) चीरी हुई इमारती लकड़ी, बेंत, बांस, नरकट, प्लाईवुड, विनियर या जायज स्रोतों से प्राप्त आयतित लकड़ी।

(ख) ब्लाक बोर्ड, एमडीएफ या जायज स्रोतों से प्राप्त समान काष्ठ आधारित उत्पाद।

(ग) कृषि–वानिकी/कृषिगत फसलों के रूप में घोषित प्रजातियां और/या राज्य में पातन तथा अभिवहन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से छूट प्राप्त और जायज स्रोतों से प्राप्त गोल लट्ठे इमारती लकड़ी।

तथापि राज्य की राज्य स्तरीय समिति विशिष्ट अपेक्षा वाले उद्योगों में 60 सेंटीमीटर तक व्यास के चक्रीय आरा को संस्थापित करने की अनुमति दे सकती है।

ऐसे उद्योग राज्य के वन विभाग से रजिस्ट्रीकृत और विनियमित होंगे, जिसके ब्यौरे राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे।

विक्रय/उतराधिकार इत्यादि पर लाइसेंस का अन्तरण राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

आज्ञा से,

रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव